संख्या-22/2021/257/71-2-21-02/2018टी0सी0

प्रेषक,

आनन्द कुमार,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1- कुलसचिव,
किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय,
लखनऊ।

2- निदेशक,
एस0जी0पी0जी0आई0,
उ0प्र0 लखनऊ।

3- निदेशक,
डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ।

4- निदेशक,
सुपर स्पेशियलिटी कैंसर संस्थान एण्ड हास्पिटल,
लखनऊ।

5- निदेशक,
सेन्टर आफ बायोमेडिकल रिसर्च,
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 10 मार्च, 2021

विषयः- वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रदेश के विभिन्न चिकित्सा संस्थानों/विश्वविद्यालय के गैर वेतन मद में प्रावधानित धनराशि की आगामी किश्तें अवमुक्त किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पार्श्वाकित शासनादेशों का अवलोकन करना चाहें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में संस्थान/विश्वविद्यालय के गैर वेतन मद के आवश्यक व्ययों के वहन हेतु अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत राजस्व पक्ष में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ, एस0जी0पी0जी0आई0, उ0प्र0 लखनऊ, डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ को क्रमशः प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम किश्त, सुपर स्पेशियलिटी कैंसर संस्थान एण्ड् हास्पिटल, लखनऊ को प्रथम, द्वितीय, एवं तृतीय किश्त तथा सेन्टर आफ बायोमेडिकल रिसर्च, लखनऊ को प्रथम, द्वितीय, तृतीय, एवं चतुर्थ किश्त की धनराशि अवमुक्त की गयी है।

1-शा0सं0-40/2020/855/71-2-20-02/2018 दिनांक 08 अप्रैल, 2020
2-शा0सं0-46/2020/1596/71-2-20-02/2018टी0सी0 दिनांक 06 जुलाई, 2020
3-शा0सं0-52/2020/1767/71-2-20-02/2018टी0सी0 दिनांक 21-8-2020
4-शा0सं0-66/2020/3748/71-2-20-02/2018टी0सी0 दिनांक 10-11-2020
5-शा0सं0-69/2020/4198/71-2-20-05/2019 दिनांक 20-11-2020
6-शा0सं0-82/2020/3744/71-2-20-02/2018टी0सी0 दिनांक 17-12-2020
7-शा0सं0-05/2021/4581/71-2-21-02/2018टी0सी0 दिनांक 16-01-2021
8-शा0सं0-11/2021/4786(1)/71-2-21-02/2018 टी0सी0 दिनांक 20-11-2020

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत राजस्व पक्ष में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष निम्नलिखित चिकित्सा संस्थानों/विश्वविद्यालय को उनके सम्मुख अंकित 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद के अन्तर्गत निम्नानुसार कुल रू0 8266.72 लाख (रूपये बयासी करोड छाछठ लाख बहत्तर हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त करते हुए सम्बन्धित संस्थान के निदेशक/कुलपति के निवर्तन पर रखे जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

क्र0	संस्थान/ विश्वविद्यालय	लेखाशीर्षक	मद	अवमुक्त धनराशि (रू0 लाख में)
1.	एस0जी0पी0जी0आई0, उ0प्र0 लखनऊ।	2210-05-105-03-0309-संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ	-20 सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)	3333.35 (छठी किश्त)
2.	किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ।	2210-05-105-03-0366-किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश	-20 सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)	2833.35 (छठी किश्त)
3.	निदेशक, डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ।	2210-05-105-03-0325-डा0 राम मनोहर लोहिया इन्स्टीटयूट आफ मेडिकल साइंसेज, गोमतीनगर, लखनऊ।	-20 सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)	1666.70 (छठी किश्त)
4-	सुपर स्पेशियलिटी कैंसर संस्थान एण्ड हास्पिटल, लखनऊ।	2210-05-105-03-0308-कैंसर संस्थान, लखनऊ।	-20 सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)	200.00 (चतुर्थ किश्त)
5-	सी0बी0एम0आर0, लखनऊ।	2210-05-105-03-0312-सेन्टर आफ बायोमेडिकल रिसर्च, लखनऊ।	-20 सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)	233.32 (पॉचवी एवं छठी किश्त)
			योग-	8266.72

3- स्वीकृत की जा रही धनराशि आहरित कर/डाकघर/बैंक में नहीं रखी जायेगी।

4- स्वीकृत धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकतानुसार एवं व्यय नियमानुसार किया जायेगा तथा इसका उपयोग उसी मद में किया जायेगा, जिसके लिए यह धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में व्यय वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।

5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24.03.2020, 11.04.2020 एवं 18.05.2020 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

6- स्वीकृत धनराशि का व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा, इसके अभाव में अनुदान की आगामी किश्त निर्गत किया जाना सम्भव नहीं होगा।

7- धनराशि को कोषागार से सम्बन्धित संस्थान/चिकित्सा विश्वविद्यालय द्वारा आहरित किया जायेगा तथा बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

8- स्वीकृत धनराशि का उपयोग निर्धारित मदों में सुसंगत नियमों के अधीन किया जाएगा।

9- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3/268/दस-2021 दिनांक 03/03/2021 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आनन्द कुमार)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-22/2021/257(1)/71-2-21-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
4. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
5. सम्बन्धित वित्त अधिकारी/वित्त नियंत्रक।
6. वित्त ई-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(प्रेम शंकर तिवारी)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।